

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्रमांक

फर्द अहकाम


मुंजं 08/17 तारिख रज् 30-1-17

उजवान - रामगोपाल बनाम धर्मसिंह को
जांगल शिरपुर

दावा बाबत घोषणाखोतदारी इन्द्राज डुरुस्ती व
स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री पुनीत कुमार शर्मा अध.ने दावा
बाबत घोषणाखोतदारी व इन्द्राज डुरुस्ती व स्थायी
निषेधाज्ञा पेश किया। द्वापय पत्र व जमा बन्दी का
अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी
जग को जरिये सम्मान से तलब कर दिनांक 13-2-17
को पेश हो।

325-20
30-1-17


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

13.2.17

वादी वकील उप. / प्रतिवादी नं. 1 अवगूद सूचना
उप. नं. 1 की प्रतिवादी नं. 2 का सम्मान प्रतिवादी नं. 1
से ही प्राप्त किया है किन्तु सम्मान का उपलक्षण
नहीं किया है। प्रतिवादी नं. 3, 4 फौजदारी सरकप उप.
पो. सा. जपपुर पट्टे की वास्ते दायिम कादेश दि 21-2-17
को पेश हो।

21-2-17 - वादी वकील उपलित / प्रतिवादी नं. 1 की ओर से
देवेन्द्र कुमार शर्मा अध.ने वरु लतनाम पेश किया। प्रतिवादी
नं. 2, 3, 4 को शामिल हो चुकी है। वावगूद सूचना उपलित
वही। इसलिए 2, 3, 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही सम्मल



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
9-1-19	वकूलाय उप०/ वादी वकील ने आगाही सुनवाई तिथी पर वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया। वक्त वादी साक्ष्य दिनांक 17-1-19 को पेश हो।
17-1-19	वकूलाय उप०/ वादी साक्ष्य पेश करने पुनः समय पाए। सुनवाई एक ठहरा दिया जाया है। वादी साक्ष्य पेश करने दि० 11-2-19 को पेश हो।
11-2-19	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी का इत्तफाक में व्यस्त है। गतानुसार दिनांक 22-2-19 को पेश हो।
22-2-19	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 29-3-19 को पेश हो।
29-3-19	वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से करौली पधोर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 16-5-19 को पेश हो।
16-5-19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं। कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी गण में से कोई भी उपस्थित नहीं है। क्लक: यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)